



संख्या : 4257/जी0एस0(शिक्षा)/A11-134(3)/2025

प्रेषक,

लक्ष्मण राम आर्य
कुलाधिपति के उपसचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 07 जनवरी, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 230709124850, दिनांक 10.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारतीय महाविद्यालय बेडपुर, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार को एम0पी0एच0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के साथ नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	भारतीय महाविद्यालय बेडपुर, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार।	एम0पी0एच0	50 सीट	2023-24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध कराये।
- प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 2295/2025 के संबंध में दिनांक 08.08.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संस्थान को प्रदान की गई अंतरिम राहत के क्रम में लिया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से एक माह की अवधि के भीतर अपूर्ण मानकों, यथा-फैकल्टी एवं भवन को पूर्ण करवाते हुए तत्सम्बन्धी सुविस्तृत आख्या सम्बन्धित साक्ष्यों सहित पृथक से मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 07-01-2026

15:18:08

(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के उपसचिव।

संख्या : 4257 / जी0एस0(शिक्षा) / A11-134(3)/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by

Anup Singh Negi

Date: 07-01-2026

15:38:18

आज्ञा से,

(अनूप सिंह नेगी)

कुलाधिपति के अनुसचिव।